उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण अनुभाग-1

संख्याः 5/2018/175/55-पर्या-1-2018-98(रिट)/2017

लखनऊ : दिनांक : 25 जनवरी, 2018

## कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं इससे संबंधित नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम-2000 प्रख्यापित किए गए हैं जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि दिनांक 14.02.2000 से प्रवृत्त हो गए है। उक्त नियम के नियम-2(ग) के अंतर्गत ''प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रवृत्त विधियों के अनुसार यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी या अधिकारी सम्मिलित है, इसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ध्वनि के संबंध में परिवेशीय वायु गुणता मानकों के अनुरक्षण के लिए अभिहित जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या ऐसा कोई अन्य अधिकारी भी है, जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो।

2- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम-2000 के नियम-2 (ग) में वर्णित ''जिला मजिस्ट्रेट'' का अर्थान्वयन धारा-20, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में वर्णित प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में किया जायेगा।

3- यह कार्यालय ज्ञाप, पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/34/55-पर्या-1-18-98 (रिट)/2017, दिनांक 11-01-2018 के अनुक्रम में निर्गत किया जा रहा है।

निहालुद्दीन खाँ

संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-5/2018/175/55-पर्या-1-2018-98(रिट)/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अंकित प्राधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
5- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निहालुद्दीन खाँ)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।